

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

# PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1132]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 23, 2014/ज्येष्ठ 2, 1936

No. 1132]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 23, 2014/JYAISTHA 2, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2014

### आयकर

का.आ. 1364(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (48) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार राष्ट्रीय हित को देखते हुए एतड्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों हेत् अधिस्चित करती है:—

- (क) मैसर्स तीमाद, 28 केएम कराज मखसूस रोड, ईरान को विदेशी कंपनी के रूप में;
- (ख) कोडीन फॉसफेट को वस्तु के रूप में; और
- (ग) सरकारी अफीम एवं शारोध कारखाना (जी ओ ए एफ) और मैसर्स तीमाद, ईरान के बीच 21 सितम्बर, 2013 को किए गए तथा केन्द्र सरकार द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित समझौता जापन को करार के रूप में:

बशर्ते कि उक्त विदेशी कम्पनी भारत में उपर्युक्त करार के तहत कोडीन फॉसफेट के विक्रय से होने वाली आय की प्राप्ति से इतर भारत में अन्य किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगी।

2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2014 से प्रभावी मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 27/2014, फा.सं. 196/20/2014-आयकर नि. I]

दीपशिखा शर्मा, उप सचिव

### MINISTRY OF FINANCE

## (Department of Revenue)

#### (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2014

#### **INCOME-TAX**

S.O. 1364(E).—In exercise of the powers conferred by clause (48) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, having regard to the national interest, hereby notifies for the purposes of the said clause—

- (a) M/s. Temad. 28th Km Karaj Makhsous Road, Iran, as the foreign company;
- (b) Codeine Phosphate as the goods; and
- (c) the Memorandum of Understanding entered into between the Government Opium and Alkaloid Factories (GOAF) and M/s. Temad, Iran on the 21st September, 2013, duly approved by the Central Government, as the agreement:

Provided that the said foreign company shall not engage in any activity in India, other than the receipt of income in India under the agreement aforesaid on account of the sale of Codeine Phosphate.

2. This Notification shall be deemed to have come into effect from the 1st day of April, 2014.

[Notification No. 27/2014, F.No.196/20/2014-I.TA.1]

DEEPSHIKHA SHARMA, Dy. Secy.